बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या: 5841929 दिनांक: 01.07.26

ग्रा0वि0(VB-G RAM G)–16/2026

विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 4(4), अनुसूची–1 के पैरा 5(3) में राज्य अंतर्गत आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आने वाले पंचायतों का वर्गीकरण श्रेणी–A, B एवं C में किये जाने हेतु शक्तियॉ प्रदान की गई है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विकसित भारत–जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के अध्याय IV की धारा 06 की उपधारा (ग) के आलोक में– प्रत्येक ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्रों से निकटता एवं अन्य विकास मापदंडो के आधार पर श्रेणी (क, ख, ग आदि) का निर्धारण कर पूर्ण संतृप्ति में योजनाएं तैयार करेगी। उन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार एतद द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती है:–

2. वर्गीकरण का उद्देश्य एवं मापदंड –

विकसित भारत–जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों का A, B एवं C श्रेणियों में वर्गीकरण अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के विकास स्तर का वस्तुनिष्ठ आकलन कर उनके अनुरूप योजना निर्माण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं संस्थागत सहायता सुनिश्चित करना है। विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025 में निम्न प्रावधान किये गये हैं–

(क) अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार– "ग्राम पंचायतों को श्रेणी A, B एवं C में अनुसूची I में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।"

(ख) अधिनियम के अनुसूची I खंड 5(3) (भागीदारी योजना) के अनुसार "प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने वर्गीकरण के आधार पर संतृप्ति (सेचुरेशन) मोड प्लान तैयार करेगी। श्रेणी A, B एवं C आदि, जो विकास मानदंडों के आधार पर निर्धारित होंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों से निकटता भी शामिल है–ताकि पंचायतों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) पंचायतों के वर्गीकरण के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11060/12/2026-RE-III(396352) दिनांक 22.05.2026 द्वारा Indicative framework के साथ वर्गीकरण हेतु मानदंडों की सूची प्रेषित है।

3. मापदंड भारांक(Weightage)–

(क)जिला स्तरीय संकेतक– 10%		
I.	आकांक्षी जिला	5%
II.	प्रधानमंत्री जन–धान्य योजना अंतर्गत जिला	5%
(ख) ग्राम पंचायत स्तरीय संकेतक– 20%		
I.	प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए औसत रोजगार दिवस	10%
II.	जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत की दूरी	10%
(ग) पंचायत एडवांस मेंट इंडेक्स (PAI 2.0) स्कोर (2023–24) 70%		

(घ) भारत सरकार के निर्देशानुसार संकेतकों क, ख और ग के समेकित स्कोर के आधार पर तैयार कर ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण निम्न गणना अनुसार किया गया है–		
I.	पंचायत का समेकित स्कोर (3.3 से कम अंक):	श्रेणी– C
II.	पंचायत का समेकित स्कोर (3.3 से 6.6 अंक):	श्रेणी– B
III.	पंचायत का समेकित स्कोर (6.6 से अधिक अंक):	श्रेणी– A

4. वर्गीकरण का विवरण– उपर्युक्त प्रक्रिया के आधार पर राज्य के सभी ग्राम पंचायतों का श्रेणी A, B एवं C में वर्गीकरण किया गया है जिसका संख्या निम्नवत है–

क्र0सं0	श्रेणियाँ	ग्राम पंचायतों की संख्या
I.	श्रेणी– A	469
II.	श्रेणी– B	6738
III.	श्रेणी– C	843
कुल ग्राम पंचायतों की संख्या		**8050**

(A, B एवं C श्रेणियों में वर्गीकृत ग्राम पंचायतों की सूची संलग्न)

5. अधिनियम की धारा 4(4) और अनुसूची I के अनुसार ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण पंचायतों के विकास मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों से निकटता, पंचायतों के अंतर्गत सूचित मानव विकास के साथ–साथ पंचायत उन्नयन सूचकांक को शामिल किया गया है। यह वर्गीकरण विकसित ग्राम पंचायत प्लान (योजना) तैयार करने में मदद करता है।

राज्यपाल के आदेश से

01/07/2026

(पंकज कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–5841929 पटना, दिनांक 01.07.26

ग्रा0वि0(VB-G RAM G)–16/2026

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

01/07/2026

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–5841929 पटना, दिनांक 01.07.26

ग्रा0वि0(VB-G RAM G)–16/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

01/07/2020

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–5841929

पटना, दिनांक 01.07.26

ग्रा0वि0(VB-G RAM G)–16/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी/मिशन निदेशक, जल–जीवन–हरियाली मिशन/निदेशक सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/07/2026

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–5841929

पटना, दिनांक 01.07.26

ग्रा0वि0(VB-G RAM G)–16/2026

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

01/07/2026

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–5841929

पटना, दिनांक 01.07.26

ग्रा0वि0(VB-G RAM G)–16/2026

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

01/07/2026

सरकार के प्रधान सचिव